न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 28/2017 (225 आर. टी. एक्ट)

आर.सी.एम.एस. संख्या :— 2017/00174

उनवान

1. पूरन पुत्र बालूराम जाति धाकड निवासी बझेरा कलॉ तहसील वैर जिला भरतपुर(मृतक)
   1/1. गंगादेई उम्र 80 वर्ष वेवा पूरन
   1/2. बनैसिंह उम्र 59 वर्ष पुत्र पूरन
   1/3. भंवर सिंह उम्र 57 वर्ष पुत्र पूरन
   1/4. भूदेव सिंह उम्र 53 वर्ष पुत्र पूरन
   1/5. चरन सिंह उम्र 46 वर्ष पुत्र पूरन
   1/6. केहरी सिंह उम्र 43 वर्ष पुत्र पूरन
   1/7. कुँवर सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र पूरन
   } जाति धाकड निवासी बझेरा कला तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. तहसीलदार तहसील वैर।
3. ग्राम पंचायत बझेरा कलॉ जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बझेरा कलॉ तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अंतर्गत धारा 225 राज0 काश्त0अधि0 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 20.05.2017 उनवानी पूरन बनाम सरकार मु0न0 36/13

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 25.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 20.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बझेरा कलॉ तहसील वैर के अपीलाण्ट/वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी संवत 2012–16 से चले आ रहे हैं एवं विवादित आराजी अपीलाण्ट/वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खुद काश्त दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में खुद काश्त दर्ज होने के कारण अपीलाण्ट/वादी को धारा 29(1) सपठित धारा 5(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु जमींदारी जब्त होने के पश्चात् खिलाफ कानून व मौके के विरूद्ध, अपीलाण्ट/वादी की लाइल्मी में विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में मकबूजा चारागाह दर्ज हो गयी है। उक्त गलत इन्द्राजो के कायम रहने के कारण अपीलाण्ट/वादी को खातेदार काश्तकार ना मानकर, एक अतिक्रमी की संज्ञा दी जा रही है, जिसका रैस्पो0/प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, वैर खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की पुश्तैनी घरू खेवट एंव खुद काश्त की आराजी रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने एवं राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के समय अपीलाण्ट के पुरखों की मिलकीयत व खुद काश्त में रही है। इसलिये उन्हें इस आराजी पर उक्त अधिनियमों के प्रावधानानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। विवादित आराजी कभी बंजड अथवा चारागाह नहीं रही है। हमेशा से अपीलाण्ट व उनके पूर्वजों की खुदकाश्त व खातेदारी में रही है। इसलिये राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के चारागाह भूमि गलत अंकित किया गया है। अदालत तहत ने पूर्व के इन्द्राजों को नजर अंदाज कर केवल वर्तमान इन्द्राजों पर भरोसा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, मूल दावे के निर्णय होने तक रैस्पो0 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है। विवादित आराजी की किस्म राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की जॉच उपरान्त, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो तर्कसंगत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट विवादित आराजी को हमेशा से अपनी व अपने पूर्वजों की खुदकाश्त व खातेदारी में होना बताते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी रियासत भरतपुर संवत 1998 के कालॅम संख्या 01, नम्बर शुमार 60 पर शामलात देह हस्व खुदकाश्त के अंकन किये हुये हैं। पक्षकारों के अधिकार वाद में तय होना शेष है; संवत 1998 की उक्त प्रविष्टियॉ, विवादित भूमि को शामलात देह पूरे गॉव के उपयोग की बताती हैं। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हमें केवल प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं की ओर ही गौर करना है। हम पाते हैं कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड संवत 2067–70 में विवादित आराजी मकबूजा ग्राम पंचायत चारागाह के खाते में दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णनहीय क्षति, अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं मानी जा सकती। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर का निर्णय दिनांक 20.05.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official